तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम [illegible] धा० स० 128
	मुकदमा नं० 59/18 निर्णय दि० [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 27-6-19 को पेश हो।
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 27-6-19 को पेश हो।
27/06/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी से विवादित भूमि बाड़ी/प्रार्थी कि खातेदारी भूमि होना साबित है। बाड़ी/प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि कि पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। न्यायहित में उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराके पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ख. नं. 466 रकबा 0.4700 है। वाके सामा गवाहों तहसीलदार सिकराय को नियमानुसार शुल्क लेकर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। 27/6/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner